

वाद संख्या- T 201517650 22-241

गुंजन देवी

अन्तर्गत धारा-143 जमींदारी विनाश अधिनियम

बनाम

साकिन- रसूलपुर तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब

सरकार आदि ।

तहसील खलीलावाद जनपद संत कबीर नगर।

आदेश:-

गुंजन देवी पत्नी राम वशिष्ठ निवासी १८६ सी बिलन्दरपुर शहर गोरखपुर प्रबन्धक श्रीमती शारदादेवी मेमोरियल डिग्री कालेज मगहर द्वारा मेरे न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक:२१-१२-२०१२ को प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम रसूलपुर के गाटा संख्या ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०९०, ५७मि/०.०६१, ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०६४, ५८/०.०२८, ९१मि/०.५२४, ८०/०.०२९, ८१/०.०३१, ८३मि/०.०४४, ८३मि/०.००८ की संक्रमणीय भूमिधर है। आराजी निजाई में कृषि कार्य नहीं होता है। आराजी निजाई में विद्यालय भवन व प्रांगण बना हुआ है। आराजी निजाई का प्रयोग बतौर आबादी किया जा रहा है। आराजी निजाई को अकृषिक घोषित किया जाय। तहसीलदार खलीलावाद के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में नियम के अनुसार भेजी गई आख्या 143 ज0वि0अधिनियम के अनुसार एक से छः तक आख्या निम्न प्रकार है।

1-धारा 143 ज0वि0अधिनियम 135 के नियम प्रारूप पर रिपोर्ट संलग्न है। राजस्व ग्राम रसूलपुर तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब तहसील खलीलावाद जनपद संत कबीर नगर।

2-वादिनी द्वारा संवय वाद योजित किया गया है ऐसी -स्थित में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है

3- गाटा संख्या ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०९०, ५७मि/०.०६१, ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०६४, ५८/०.०२८, ९१मि/०.५२४, ८०/०.०२९, ८१/०.०३१, ८३मि/०.०४४, ८३मि/०.००८हे0 ग्राम रसूलपुर तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब तहसील खलीलावाद आवेदक अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा महा विद्यालय का भवन व प्रांगण बना है। जिसका सम्बन्ध कृषि वागवानी पशुपालन जिसके अन्तर्गत कुकुर पालन मत्स्य पालन भी है, से नहीं है।

4- गाटा संख्या ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०९०, ५७मि/०.०६१, ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०६४, ५८/०.०२८, ९१मि/०.५२४, ८०/०.०२९, ८१/०.०३१, ८३मि/०.०४४, ८३मि/०.००८हे0 धारा 143 ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना है। पत्रावली में नजरी नक्शा संलग्न है।

5- गाटा संख्या ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०९०, ५७मि/०.०६१, ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०६४, ५८/०.०२८, ९१मि/०.५२४, ८०/०.०२९, ८१/०.०३१, ८३मि/०.०४४, ८३मि/०.००८हे0 भूमि अकृषिक करने हेतु आवेदन किया गया है, जो मौके पर अकृषिक है।

6- ग्राम रसूलपुर तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब तहसील खलीलावाद जनपद संत कबीर नगर के गाटा संख्या ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०९०, ५७मि/०.०६१, ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०६४, ५८/०.०२८, ९१मि/०.५२४, ८०/०.०२९, ८१/०.०३१, ८३मि/०.०४४, ८३मि/०.००८हे0 मालगुजारी १५.५०पै0 के आधार पर आवेदिका के नाम अंकित संक्रमणीय भूमिधर की भूमि कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण ज0वि0 अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रेषित, अतः उक्त भूखण्ड पूर्णतः अकृषिक है।

आवेदिका की आख्या में उल्लिखित रक्बा १.१२९हे0 अकृषिक है जिसे नियमानुसार ज0वि0 अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि प्रख्याति किया जा सकता है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार खलीलावाद की जाँच आख्या संव विधि संग्रह तरीके से धारा 143 ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भूमि को अकृषिक

भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नही व्यक्त की गई है। धारा 143 ज0वि0अधिनियम 135 की नियमावली प्रारूप संलग्न है। गाटा संख्या ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०९०, ५७मि/०.०६१, ५७मि/०.१२५, ५७मि/०.०६४, ५८/०.०२८, ९१मि/०.५२४, ८०/०.०२९, ८१/०.०३१, ८३मि/०.०४४, ८३मि/०.००८हे0 अकृषिक है। यह भूमि ग्राम रसूलपुर में स्थित है जो अकृषिक किये जाने हेतु उपयुक्त है।

अतः ग्राम रसूलपुर तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब तहसील खलीलावाद के खतौनी फसली १४१८-१४२३ के खाता संख्या-२५४ के गाटा संख्या ५७मि/०.१२५ व खाता संख्या १७५ के गाटा संख्या ५७मि/०.०९०, खाता संख्या १८८ के गाटा संख्या ५७मि/०.०६१, खाता संख्या ५ के गाटा संख्या ५७मि/०.०६४, खाता संख्या १३८ के गाटा संख्या ५७मि/०.१२५, खाता संख्या १०९ के गाटा संख्या ५८/०.०२८, खाता संख्या १६४ के गाटा संख्या ९१मि/०.५२४, खाता संख्या १५ के गाटा संख्या ८०/०.०२९, ८१/०.०३१, ८३मि/०.०४४ खाता संख्या १३९ के गाटा संख्या ८३मि/०.००८हे0 मालगुजारी १५.५०पै0 को धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। वाद अमलदरामद पत्रावली संचित अभिलेखागार हों।

दिनांक २९-०५-२०१५

(रामकेर सिंह यादव)

उपजिलाधिकारी खलीलाबाद

संत कबीर नगर

प्रतिलिपि:- उपनिबन्धक खलीलावाद को इस आशय से प्रेषित कि वह धारा 143 में दी गई घोषणा की निःशुल्क नियत रीति से रजिस्ट्री करें।

(रामकेर सिंह यादव)

उपजिलाधिकारी खलीलाबाद

संत कबीर नगर

Attested copy  
RA  
SPOK